



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 769]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2015/अग्रहायण 19, 1937

No. 769]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2015/AGRAHAYANA 19, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 951(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जा सकेंगे;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2015 है।
- (2) ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 62 में,—
 - (क) उपनियम (1) में,—

(i) पहले परंतुक में "निरीक्षण अधिकारी" के पश्चात् ""निरीक्षण अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि पूर्वोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट परीक्षणों का संचालन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण अधिकारी से भिन्न किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जाता है तो वह निरीक्षण अधिकारी, जिसने परीक्षणों का संचालन किया है, उसी दिन या अगले कार्य दिवस को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट को प्ररूप 38क में पोर्टल पर अपलोड करेगा और यदि निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यान को अधिनियम और नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने वाला पाया जाता है तो वह स्वयं के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन निरीक्षण रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की तारीख से 15 दिन के भीतर उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भेजेगा और उसकी एक प्रति यान के चालक को दी जाएगी।";

(iii) स्पष्टीकरण में, "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण अधिकारी से भिन्न किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा जांच किए जाने पर किसी यान के जांच के लिए फीस नियम 81 में यथा विनिर्दिष्ट होगी।"

3. मूल नियमों में नियम 81 में, सारणी में, क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10क.	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण अधिकारी से भिन्न किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तता का प्रमाणपत्र अनुदत्त या नवीकृत किए जाने के लिए परीक्षण का संचालन करना		62(2)	
	मोटर साईकिल	मैनुअल : 200 रुपए स्वचालित : 400 रुपए		
	तिपहिया या हल्का मोटरयान या चौपहिया	मैनुअल : 400 रुपए स्वचालित : 600 रुपए		
	मध्यम या भारी मोटरयान	मैनुअल : 600 रुपए स्वचालित : 1000 रुपए		

4. प्ररूप 38 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 38क

[देखिए नियम 62(1)]

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण अधिकारी से भिन्न निरीक्षण अधिकारी द्वारा संचालित किसी परिवहन यान की निरीक्षण रिपोर्ट

यान, जिसकी रजिस्ट्रीकरण सं. है, का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आज निरीक्षण किया गया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि यह मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के उपबंधों का अनुपालन करता है तथा यह रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए उपयुक्त है।

यह रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा यान के संबंध में उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए आवेदन के प्रसंस्करण के लिए या तो आज या अगले कार्य दिवस को स्पीड पोस्ट से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन भेजी जाएगी।

तारीख

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम
रजिस्ट्रीकरण कार्यालय, जहां तैनात है

जिला

राज्य

शासकीय मुहर ।।

[फा. सं. आरटी-11028/15/2015-एमवीएल]

(अभय दामले) संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 677(अ), तारीख 03.09.15 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th December, 2015

G.S.R. 951(E).— The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 56 and 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110 001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (___Amendment) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the principal rules), in rule 62,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) in the first proviso, for the words "after the Inspecting Officer", by the words "after an Inspecting Officer" shall be substituted;

(ii) after the second proviso the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that if the tests specified in the above Table are conducted by an Inspecting Officer other than the Inspecting Officer in the office of the registering authority, the Inspecting Officer who conducted the tests shall, on the same day or on the following working day, upload his inspection report in Form 38A at the portal _____ and also send the inspection report signed under his hand and seal to the registering authority by speed post for issue of certificate of fitness by the registering authority within fifteen days from the date of the inspection report, if the vehicle is found by the Inspecting Officer to be in compliance with the provisions of the Act and Rules and a copy shall be given to the driver of the vehicle.";

(iii) in the *Explanation*, for the words "appointed by the State Government" the words "appointed by a State Government" shall be substituted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3) The fee for testing of a vehicle when tested by an Inspecting Officer other than the Inspecting Officer in the office of the registering authority shall be as specified in rule 81.”

3. In the principal rules, in rule 81, in the Table, after the serial number 10 and the entries related thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“10A.	Conducting test of a vehicle by an Inspecting Officer other than the Inspecting Officer in the office of the registering authority for grant or renewal of certificate of fitness by the registering authority Motorcycle		62(2)	
	Three wheeled or light motor vehicle or quadricycle	Manual: Two hundred rupees Automated: Four hundred rupees		
	Medium or heavy motor vehicle	Manual : Four hundred rupees Automated: Six hundred rupees Manual: Six hundred rupees Automated: One thousand rupees		

4. After Form 38, the following Form shall be inserted, namely:-

“FORM 38A

[See rule 62(1)]

Report of inspection conducted on a transport vehicle by an Inspecting Officer other than the Inspecting Officer in the office of the registering authority

Vehicle bearing registration number has been inspected by the undersigned today and it is certified that it complies with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and is fit for issue of a Fitness Certificate by the registering authority.

This report will be uploaded at the portal and the inspection report signed under my hand and seal will be sent to the registering authority by speed post either today or on the next working day for processing the application for issue of certificate of fitness in respect of the vehicle by the registering authority.

Date

Signature, name and designation of the Inspecting Officer
RTO in which posted
District
State
Official seal.”

[No. RT 11028/15/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number 677 (E) dated 3.9.2015.